

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./मे.प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर/678/ 121

भोपाल, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

M/s Prem Infrastructure,

E-29, Mannipuram, Bittan Market,

Bhopal (M.P.)

GSTIN - 23AZKPS2310L1ZC

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

संदर्भ - आपका आवेदन दिनांक 12.02.2024)।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के अधीन M/s Prem Infrastructure को विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2023/28 दिनांक 03/03/2023 अनंतिम रूप से एक वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की गई है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से उक्त अनंतिम स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में आगामी 4 वर्षों की वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. आवेदन पर विचारोपरांत अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय द्वारा M/s Prem Infrastructure को नियम 2009 अंतर्गत नियम 10 के तहत स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2023/28 दिनांक 03/03/2023 की वैधता अवधि में आगामी 4 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/03/2028 तक वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई है। विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2023/28 दिनांक 03/03/2023 में अनुमोदित क्रय केंद्रों की अद्यतन सूची (परिशिष्ट -1) संलग्न है जोकि विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2023/28 दिनांक 03/03/2023 का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।


4. नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरूप बैंक गारंटी/एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। कृषकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।

5. नियम 2009 के नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।

6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

**(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)**

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


  
सहायक संचालक (नियमन)  
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./मे.प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर/678/122

भोपाल, दिनांक 24/05/2024

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - \_\_\_\_\_ (म. प्र.) (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाएं।
2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ (म. प्र.) (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है।
3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी **M/s Prem Infrastructure** को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में आवश्यक प्रविष्टि की जाएं।

  
सहायक संचालक (नियमन)  
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

M/s Prem Infrastructure,

E-29, Mannipuram, Bittan Market,

Bhopal (M.P.)

GSTIN - 23AZKPS2310L1ZC

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2023/28 दिनांक 03/03/2023

वैधता अवधि - दिनांक 02/03/2028 तक

क्रय केंद्र सूची

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	"तिलहन/ धान्य दलहन	भोपाल	भोपाल	ग्राम पीपलीया जाहीर पीर	ग्राम पीपलीया जाहीर पीर	श्री राहुल प्रजापति मो.नं.- 9893463077
2	"तिलहन/ धान्य दलहन	आष्टा	आष्टा	ग्राम डाबरी, शुजालपुर रोड	ग्राम डाबरी, शुजालपुर रोड	श्री राजा शिवहरे मो.नं.- 8109136542



सहायक संचालक

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल